वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

कोर-IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

वेबसाइट : www.ncrpb.nic.in

विषय-सूची

क्र. स.	विवरण	पृष्ठ सं.
I	औचित्य	1
II	बोर्ड का गठन और सदस्यता	1-2
III	कार्य	2
IV	शक्तियाँ	2
V	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा	3
VI	काउंटर मेग्नैट क्षेत्र	4
VII	योजना समिति का गठन तथा कार्य	6
VIII	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021	7
IX	सिंहावलोकन का वर्ष 2015-16	11
	क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन	11
	i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा	11
	ii) एनसीआर में प्रतिभागी राज्यों के नए शामिल जिलों के लिए नियोजन	13
	iii) किए गए अध्ययन	14
	iv) प्रकार्य योजना	14
	v) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के अंतर्गत उपक्षेत्रीय योजनाओं का निर्माण	14
	vi) एनसीआर की क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की निगरानी	15
	vii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी	16
	क) मध्यवर्ती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सीएनसीआर) तक मेट्रो रेल का विस्तार	16
	ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली	16
	(ग) सड़क नेटवर्क	18
	1. दिल्ली के नजदीक परिसरीय (पेरीफेरल) एक्सप्रेसवे	18
	2. दिल्ली - मेरठ एक्सप्रेसवे	19
	3. राष्ट्रीय राजमार्ग	19
	ख. बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएँ	19
	अनुलग्नक-'क' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) की ऋण सहायता से प्रक्रियाधीन अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की सूची	23-27
	ग. वर्ष के दौरान ऋण संवितरण	28
	घ. (i) वित्तीय संसाधन	29
	(ii) संसाधन जुटाना	30
	(iii) लेखा परीक्षा एवं लेखा	32
	(iv) क्षमता विकास हेतु पहलें	32
	ङ. नई पहल	32
	च. प्रशासन एवं सतर्कता	33
	(i) प्रशासन	33
	(ii) सतर्कता	33
	(iii) सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.)	34
	(iv) ई-अधिप्रापण/क्रय	34
	(v) संगठनात्मक संरचना	35-36

I. औचित्य

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया था:-

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार करना;
- उक्त योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करना; तथा
- इस क्षेत्र में भू-उपयोगों के नियंत्रण के लिए सुसंगत नीतियां बनाना और बुनियादी सुविधा का विकास करना ताकि इस क्षेत्र में बेतरतीब विकास से बचा जा सके ।

II. बोर्ड का गठन और सदस्यता:

शहरी विकास मंत्रालय की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या के-11019/3/2012-डीडी VI दिनाँक 14.02.14 के अनुसार बोर्ड के वर्तमान गठन का ब्यौरा इस प्रकार है:

1	केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री	अध्यक्ष
2	केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री	सदस्य
3	रेल मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
4	शहरी विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
5	मुख्यमंत्री, हरियाणा	सदस्य
6	मुख्यमंत्री, राजस्थान	सदस्य
7	मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8	उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	सदस्य
9	मुख्यमंत्री, दिल्ली	सदस्य
10	शहरी विकास मंत्री, राजस्थान सरकार	सदस्य
11	शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
12	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
13	सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य
14	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	सदस्य
15	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
16	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
17	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	सदस्य

18	प्रमुख सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार	सदस्य
19	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य सचिव

अतिरिक्त सहयोजित सदस्य:

1.	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार
2.	सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार

सहयोजित सदस्य:

1.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

III. कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्य निम्नलिखित है:

(क) *क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजनाएं तैयार करना ।*

(ख) *प्रत्येक सहभागी राज्य और संघशासित प्रदेश द्वारा उप-क्षेत्रीय योजनाएं और परियोजना योजनाएं तैयार कराने की व्यवस्था करना।*

(ग) *सहभागी राज्यों और संघ शासित प्रदेश के जरिए क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजनाओं, उप-क्षेत्रीय योजनाओं तथा परियोजनाओं को लागू करने और उनके कार्यान्वयन के कार्यों का समन्वय करना।*

(घ) *क्षेत्रीय योजना में निर्दिष्ट चरणों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उप-क्षेत्रों में परियोजना तैयार करने, प्राथमिकताओं के निर्धारण तथा विकास की चरणबद्धता के संबंध में सहभागी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश द्वारा उपयुक्त तथा व्यवस्थित कार्यक्रम तैयार करना सुनिश्चित करना।*

(ड) *केन्द्रीय और राज्य योजना निधियों के साथ-साथ अन्य स्रोतों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चुनिंदा विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण की व्यवस्था और उनका निरीक्षण करना।*

IV. शक्तियाँ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की शक्तियाँ निम्नलिखित है:

(क) कार्यात्मक योजनाओं तथा उप-क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार, लागू और कार्यान्वित करने के संबंध में सहभागी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र से रिर्पोट और सूचना मांगना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि कार्यात्मक योजना अथवा उप-क्षेत्रीय योजना, जो भी हों, क्षेत्रीय योजना के अनुरूप तैयार, लागू और कार्यान्वित हों;

(ग) क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के चरणों को निर्दिष्ट करना;

(घ) क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजना, उप-क्षेत्रीय याजना और परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;

(ड) व्यापक परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन, प्राथमिकता प्राप्त विकास की आवश्यकता और उन परियाजनाओं, जिन्हें उपयुक्त समझे, के कार्यान्वयन के लिए ऐसी सहायता मुहैया कराना;

(च) संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे शहरी क्षेत्र का चयन, उसकी अवस्थिति, जनसंख्या तथा विकास की संभावना को ध्यान में रखकर करना जिसे क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित किया जा सकता हो; और

(छ) समिति को ऐसे अन्य कार्य सौंपना जिसे बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

V. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित केन्द्र बिंदु के रूप में अंतर्राज्जीय क्षेत्र के विकास हेतु योजना का एक बेजोड़ उदाहरण है। क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 34,144 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र शामिल है जो कि सहभागी राज्यों अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्राधिकार में है।

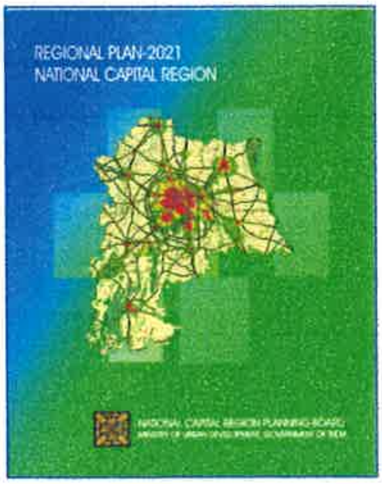

उपक्षेत्र-वार क्षेत्रफल का ब्यौरा जिसके लिए क्षेत्रीय योजना-2021 तैयार की गई, निम्नलिखित अनुसार है:

उप क्षेत्र	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का % क्षेत्र	जिलों के नाम
हरियाणा	13,428	39.3	फरीदाबाद, गुड़गाँव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्झर, पानीपत और पलवल (9 ज़िले)
उत्तर प्रदेश	10,853	31.8	मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत (6 ज़िले)
राजस्थान	8,380	24.5	अलवर (1 ज़िला)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	1,483	4.4	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली
कुल	**34,144**		

शहरी विकास मंत्रालय ने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 01.10.2013 एवं 24.11.2015 के तहत हरियाणा राज्य के भिवानी, महेन्द्रगढ़, जींद और करनाल जिलों; राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर ज़िले को रा.रा.क्षेत्र में शामिल किया है । इन अधिसूचनाओं के पश्चात् रा.रा.क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल अब 53,817 वर्ग कि.मी. तथा जनगणना 2011 के अनुसार, जनसंख्या 568.8 लाख हो गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देश के भू-क्षेत्रफल का लगभग 1.64% है। यह क्षेत्र पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र (अरावली की पहाड़ियाँ, वन, वन्य जीव-जन्तु और पक्षी अभ्यारणय, गंगा, यमुना और हिंडन नदियों आदि), उर्वर जोत योग्य भूमि होने के कारण विशेष है तथा यह एक गतिशील ग्रामीण-शहरी क्षेत्र है ।

VI. काउंटर मैग्नेट क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8 (च) के तहत बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संबंधित राज्य के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर का कोई भी क्षेत्र उसके स्थान, जनसंख्या और विकास की समर्थता को ध्यान में रखते हुए काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए चुने ताकि क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके ।

क्षेत्रीय योजना-2001 ने निम्नलिखित 5 काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की पहचान की है:

- हरियाणा में हिसार
- उत्तर प्रदेश में बरेली
- राजस्थान में कोटा
- पंजाब में पटियाला
- मध्य प्रदेश में ग्वालियर

काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों की परिकल्पना दो अलग परंतु परस्पर पूरक भूमिकाओं के लिए की गई थी, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

- "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी प्रवाह, जिसमें तीव्रता से वृद्धि हो सकती है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से विकास होने पर वह कम विकसित समीपवर्ती क्षेत्रों से प्रवासियों को आकर्षित कर सकता है, के लिए अंतर्रोधक बनना; और
- क्षेत्रीय विकास केन्द्रों के रूप में जिनसे इन केन्द्रों की अपनी स्थापनओं के कुछ समय बाद इस क्षेत्र में शहकरीकरण का संतुलित पैटर्न बन पाएगा"।

क्षेत्रीय योजना-2021 में भी काउंटर-मैग्नेट क्षेत्रों के विकास की नीति को जारी रखा गया है। "दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों" संबंधी अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 22.03.2012 को हुई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 32वीं बैठक में रा.रा.क्षे. के लिए इस बोर्ड ने निम्नलिखित शहरों/कस्बों को काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों के रूप में अनुमोदित किया:

(i) हरियाणा में हिसार
(ii) उत्तर प्रदेश में बरेली
(iii) राजस्थान में कोटा
(iv) पंजाब में पटियाला
(v) मध्य प्रदेश में ग्वालियर
(vi) हरियाणा में अम्बाला
(vii) उत्तराखंड में देहरादून
(viii) उत्तर प्रदेश में कानपुर

इसके अतिरिक्त, बोर्ड की दिनांक 01.07.2013 को हुई 33वीं बैठक में जयपुर की भी रा.रा.क्षे. के काउंटर-मैग्नेट क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है । इस समय रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 8(च)के अनुसार 9 काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों की पहचान की गई है।

VII. योजना समिति

(क) गठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 4(1) और (2) के तहत एक योजना समिति के गठन का अधिदेश दिया गया है। बोर्ड के सदस्य सचिव इस योजना समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। इस योजना समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

1	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव,शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास के मामलों से संबंधित	सदस्य
3	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, हरियाणा	सदस्य
4	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राजस्थान	सदस्य
5	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	प्रभारी सचिव, शहरी विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली	सदस्य
7	उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण	सदस्य
8	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	सदस्य
9	निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोज़न विभाग, हरियाणा	सदस्य
10	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार	सदस्य
11	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

(ख) सहयोजित सदस्य

I. वरिष्ठ सलाहकार (एचयूडी), योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग)
II. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, आवास और शहरी विकास निगम
III. संयुक्त सचिव (यू.टी.), शहरी विकास मंत्रालय
IV. संयुक्त सचिव (आई.ए.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
V. मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

(ग) योजना समिति के कार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम,1985 की धारा 9 में यथा उल्लेखित अनुसार योजना समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:

9 (1) समिति के कार्यों में समिति बोर्ड की सहायता करेगी:

(क) क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजनाएँ तैयार करना और उनके कार्यान्वयन में समन्वयन करना।

(ख) उप क्षेत्रीय योजनाओं और सभी परियोजनाओं की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या वे क्षेत्रीय योजना के अनुरूप हैं।

(2) यह समिति, जैसा जरूरी समझे बोर्ड को किसी उप क्षेत्रीय योजना अथवा किसी परियोजना योजना में संशोधन अथवा आशोधन करने की भी सिफारिश कर सकती है।

(3) समिति ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करेगी जो इसे बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं।

VIII. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने वर्ष 2021 तक के परिदृश्य को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार की है जिसे 17.09.2005 को अधिसूचित किया गया था ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु क्षेत्रीय योजना-2021 में अच्छी कृषि भूमि को बचाने और परिरक्षित करने संवेदनशील क्षेत्रों को पर्यावरणिक रूप से परिरक्षित करने और भूमि व्यवस्था (सेटलमेंट) पद्धतियों,परिवहन, बिजली और पानी, सामाजिक अवसंरचना, आपदा प्रबंधन, धरोहर और पर्यटन जैसी भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं से परस्पर संबंधित नीतिगत ढाँचे को निर्धारित करने के लिए, जीवन स्तर में सुधार करने और भू-उपयोग के विवेकपूर्ण पैटर्न को सुनिश्चित करने के लिए शहरी और ग्रामीण बस्तियों के सतत विकास हेतु एक बेजोड़ मॉडल व्यवस्था है।

इस योजना का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को एक वैश्विक उत्कृष्टता के क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। इस योजना का लक्ष्य क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है तथा (क) दिल्ली के आर्थिक विकास के आवेग को समाने में सक्षम प्रादेशिक बस्तियों की पहचान और विकास के द्वारा भावी वृद्धि के लिए समुचित आर्थिक आधार मुहैया करने; (ख) पहचान की गई ऐसी बस्तियों में संतुलित प्रादेशिक विकास हेतु मदद करने के लिए भू-उपयोग पैटर्नो के साथ पूर्णत: एकीकृत, कारगर और सस्ता रेल तथा सड़क आधारित परिवहन नेटवर्क (व्यापक परिवहन प्रणालियों सहित) प्रदान करने; (ग) प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूतम करने; (घ) चुनिंदा शहरी बस्तियों को दिल्ली के समान परिवहन, विद्युत, संचार, पेयजल, सीवरेज तथा जल निकासी जैसी शहरी बुनियादी सुविधाओं समेत विकसित करने; (ड़) वियुक्तिसंगत भू-उपयोग ढाँचा मुहैया करने और (च) जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस क्षेत्र के सतत् विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में, सभी उप क्षेत्रों के लिए आबादी का अनुमान वर्ष 2021 के लिए लगाया था । जनगणना-2011 के अनुसार वर्ष 2011 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आबादी 460.69 लाख है जबकि क्षेत्रीय योजना-2021 में 486.19 लाख होने का अनुमान है।

क्षेत्रीय योजना-2021 में वर्ष 2011 के लिए उपक्षेत्रवार अनुमानित आबादी तथा जनगणना 2011 के आंकड़ों के साथ इसकी तुलना इस प्रकार है:-

(लाख में)

क्रम सं.	उप क्षेत्र	क्षेत्रीय योजना-2021 के अनुसार वर्ष 2011 के लिए अनुमानित आबादी	जनगणना 2011 के अनुसार आबादी
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली उप क्षेत्र	179.90	167.88
2	हरियाणा उप क्षेत्र	117.55	110.31
3	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र	150.83	145.76
4	राजस्थान उप क्षेत्र	37.91	36.74
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	**486.19**	**460.69**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, वे इस प्रकार हैं:-

- प्राकृतिक आपदाओं की आशंका और सामाजिक-आर्थिक कार्यकलापों समेत प्राकृतिक विशेषताओं की सावधानीपूर्वक जांच (एनआरएससी, हैदराबाद से प्राप्त उपग्रह चित्रों समेत) से उभरे सुसंगत पैटर्न के अनुसार प्रादेशिक स्तर पर युक्तिसंगत भू-उपयोग निर्धारित करना।
- आर्थिक कार्यकलापों को आकर्षित करने के लिए मेट्रो और क्षेत्रीय केन्द्रों का सशक्त विकास नोडो के रूप में विकास ।
- क्षेत्रीय परिवहन संपर्क लिंक और व्यापक यात्री प्रणाली प्रदान करना।
- दिल्ली के चारों ओर परिसरीय (पेरीफेरल) एक्सप्रेस मार्गों और आरबिटल रेल गलियारे का निर्माण।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में मूलभूत शहरी बुनियादी सुविधाओं (परिवहन, विद्युत, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी) का विकास।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर आदर्श औद्यौगिक एस्टेटों, विशेष आर्थिक जोनों के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में मेट्रो केन्द्रों, क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-क्षेत्रीय केन्द्रों, सेवा केन्द्रों, केन्द्रीय गांवों और बुनियादी गांवों को शामिल करते हुए एक छःस्तरीय बस्ती पद्धति का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय योजना-2021 में निम्नलिखित के अनुसार 7 मेट्रो केन्द्रों (10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले शहर/काम्पलेक्स) तथा 11 क्षेत्रीय केन्द्रों (3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर/काम्पलेक्स) का निम्नलिखित प्रस्ताव है:-

I	**मेट्रो केन्द्र**
1	फरीदाबाद-बल्लभगढ
2	गुडगाँव-मानेसर
3	गाजियाबाद-लोनी
4	नोएडा
5	सोनीपत-कुंडली
6	ग्रेटर नोएडा
7	मेरठ

II	**क्षेत्रीय केन्द्र**

1	बहादुरगढ़
2	पानीपत
3	रोहतक
4	पलवल
5	रेवाडी-धारूहेरा-बावल
6	हापुड़-पिलखुआ
7	बुलंदशहर-खुर्जा
8	बागपत-बड़ौत
9	अलवर
10	ग्रेटर भिवाड़ी
11	शाहजहाँपुर-नीमराणा-बेहरोड़

इस क्षेत्र मे द्रुत शहरीकरण और विकास को देखते हुए यह क्षेत्र बेतरतीब अनियोजित विकास अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमणों के खतरे का सामना कर रहा है। बेतरतीब विकास को रोकने और अच्छी कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोगों में बदलने से बचाने के लिए ग्रामीण - शहरी सतत् विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कस्बों के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में निर्धारित नीतियों को अनुपालन करते हुए शहरी बस्तियों के साथ-साथ ग्रामीण बस्तियों के लिए विभिन्न स्तरों पर मास्टर योजनाएँ तैयार करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए आश्रय, पानी, सीवरेज, सीवेज परिशोधन, ठोस कचरा प्रबन्धन, जल निकासी, बिजली, परिवहन, आदि जैसी भौतिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के प्रस्तावों/कार्यनीतियों/परियोजनाओं की आवश्यकता है। सहभागी राज्य सरकारों और उनके संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं को भी समयबद्ध ढंग से कार्यान्वित किए जाने की जरूरत है।

इसके अलावा, पानी और बिजली तथा सफाई जैसे बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा बढ़ाने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा नए दृष्टिकोणों और नवप्रवर्तन तकनीकों को अपनाने की जरूरत है । भू-जल पुन:भरण और जल संग्रहण को भवन उप नियमों में शामिल करने के साथ-साथ जल पुन:भराव क्षेत्रों के संरक्षण के लिए सहभागी राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न नगर योजना अधिनियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है । क्षेत्रीय योजना-2021 में विशेष रूप से तेजी से घट रहे प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन एवं जैव विविधता पर चिंता जताई गई है तथा इसका मुख्य कारण रा.रा.क्षे. का तीव्र शहरीकरण बताया है।

IX. सिंहावलोकन का वर्ष: 2015-16

वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलापों और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:-

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 का कार्यान्वयन

एक समन्वयन निकाय के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से नीतियों के कारगर कार्यान्वयन के लिए विभिन्न पहल-प्रयास/कार्रवाइयां की हैं । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अंतर्गत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों तथा प्रस्तावों को सहभागी राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा का कार्य प्रारंभ किया । सहभागी राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से गहन विचार विमर्श किया गया तथा क्षेत्रीय योजना-2021 के अंतिम संशोधित प्रारूप को "क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा और संशोधन" की कार्यशाला में सभी हितधारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिससे सबकी संस्तुतियां एवं सुझाव प्राप्त किये जा सके । योजना समिति की दिनांक 04.06.2013 को हुई 61वीं बैठक में भी संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 के प्रारूप पर विचार-विमर्श किया गया तथा समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई जिसके पश्चात् दिनांक 01.07.2013 को हुई बोर्ड की 33वीं बैठक में इसका अनुमोदन किया गया एवं रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 12(1) के अनुसार आम जनता से सुझाव एवं आपत्तियाँ आमंत्रित की गई।

इसके पश्चात, रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 12(1) तथा रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड नियम, 1985 के नियम 23 के अनुसार, 29.07.2013 को मसौदा संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 पर आम जनता, केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं अन्य स्थानीय निकायों से आपत्तियां/सुझाव आंमत्रित करने हेतु प्रकाशित की गई । आपत्तियों एवं सुझावों पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात् योजना समिति ने दिनांक 03.10.2013, 15.10.2013 तथा 20.12.2013 को संपन्न हुई अपनी 62वीं बैठक में बोर्ड को अपनी संस्तुतियां भेजी ।

दिनांक 20.01.2014 को संपन्न हुई 34वीं बैठक में बोर्ड ने योजना समिति की संस्तुतियों पर विचार विमर्श किया तथा संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया । बाद में बोर्ड ने रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 13 तथा रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड नियमों, 1985 के नियम 27 के अंतर्गत एनसीआर की संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 के मुद्रण एवं अधिसूचना का अनुमोदन किया ।

इसके पश्चात्, बोर्ड ने दिनांक 25.04.2014 को आयोजित अपनी विशेष बैठक में संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 पर पुन: चर्चा की तथा कुछ आशोधनों के साथ अनुमोदित किया। चूंकि तब के पर्यावरण एवं वन मंत्री द्वारा संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 पर कई मुद्दे उठाए गए थे इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने निदेश दिए कि जब तक पर्यावरण एवं वन मंत्री द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान करके पीएमओ को एक अनुपालना रिपोर्ट न भेजी जाए, प्रस्तावित संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 पर कोई अंतिम निर्णय न लिया जाए। अत: बोर्ड तथा शहरी विकास मंत्रालय के सभी निर्णयों को सम्मिलित करने तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधनों के पश्चात् दिनांक 23.12.2014 के यूओ नोट द्वारा मसौदा संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 को एवं रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 13 के अंतर्गत प्रकाशन के अनुमोदन हेतु मंत्रालय भेजा गया ।

जवाब में, शहरी विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 31.03.2015 के पत्र के द्वारा मसौदा संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा करने और सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे - स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया आदि को योजना में शामिल करने तथा संशोधित मसौदा अनुपालना रिपोर्ट के साथ भेजने का अनुरोध किया ।

तत्पश्चात्, बोर्ड के निर्णयों/निर्देशों के समावेश के बाद मसौदा क्षेत्रीय योजना-2021 के साथ एमओईएफएण्डसीसी के विचारों/टिप्पणियों/सुझावों पर रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड सचिवालय के पैरावार उत्तर शहरी विकास मंत्रालय को बोर्ड के पत्रांक 03.06.2015 तथा 10.07.2015 के द्वारा इस अनुरोध के साथ भेजे गए कि इसे एमओईएफएण्डसीसी को उनके अनुमोदन हेतु अग्रेषित कर दिया जाए । शहरी विकास मंत्रालय ने दिनांक 27.07.2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा मसौदे को एमओईएफएण्डसीसी को इस अनुरोध के साथ भेज दिया कि वे अपनी टिप्पणियां/विचार शीघ्र भेजें जिससे पीएमओ कार्यालय से अनुमति के पश्चात् मसौदा क्षेत्रीय योजना-2021 को संशोधित किया जा सके ।

इसके उत्तर में दिनांक 30.09.2015 के पत्र, जो कि शहरी विकास मंत्रालय के 05.10.2015 के पत्र के साथ प्राप्त हुआ, के द्वारा एमओईएफएण्डसीसी ने अपने पिछले

विचारों/टिप्पणियों/सुझावों के सम्मिलन की स्थिति पर अपने विचार भेजे तथा यह भी सूचित किया कि पूर्व विचारों/टिप्पणियों/सुझावों में से 3 सुझाव अब तक मसौदा संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 में शामिल नहीं किए गए हैं ।

एमओईएफएण्डसीसी के विचारों पर बोर्ड सचिवालय द्वारा विस्तृत पैरावार उत्तर शहरी विकास मंत्रालय को 23.10.2015 के पत्र द्वारा भेजा गया था । साथ ही यह अनुरोध भी किया गया था कि एमओईएफएण्डसीसी की टिप्पणियों/विचारों की अनुपालन के साथ मसौदा संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 को अनुमति हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय को अग्रेषित किया जाए । यह भी सूचित किया गया था कि एक बार प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुमति मिल जाने के पश्चात् मसौदा संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 बोर्ड के समक्ष अधिसूचना हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएगी । मसौदा संशोधित क्षेत्रीय योजना-2021 की एमओईएफएण्डसीसी तथा रा.रा.क्षे.योजना बोर्ड के परामर्श में जांच चल रही है ।

ii) एनसीआर में प्रतिभागी राज्यों के नए शामिल जिलों के लिए नियोजन

भारत सरकार ने 01.10.2013 की राजपत्रित अधिसूचना के द्वारा हरियाणा के भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिले तथा राजस्थान का भरतपुर जिला एनसीआर में शामिल किया है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि इन नए शामिल जिलों के लिए योजनाएं बनाई जाएं तथा उन्हें क्षेत्र की उपक्षेत्रीय योजना में शामिल किया जाए । यह भी अनुरोध किया गया कि इन जिलों के नियोजन के लिए पहले वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया जाए फिर जमीनी/जिला स्तर पर क्षेत्र में उपस्थित चुनौतियों/मुद्दों की पहचान की जाए तत्पश्चात् उन्हें संबंधित क्षेत्रीय योजना के साथ एकीकृत किया जाए ।

एनसीआर के तीन अतिरिक्त जिलों के लिए क्षेत्रीय भू उपयोग के निर्माण पर अध्ययन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 11.09.2015 को राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र (एनआरएससी), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, हैदराबाद के साथ एक एमओयू (MoU) भी हस्ताक्षरित किया है । इसके पश्चात्, मंत्रालय ने 24.11.2015 को एनसीआर में सम्मिलन हेतु हरियाणा के दो नए जिले (जींद और करनाल) तथा उत्तर प्रदेश का एक जिला (मुजफ्फरनगर) अधिसूचित किया जो कि भारत के असाधारण राजपत्र सं 2508, भाग ।। अनुभाग 3 उप-अनुभाग (ii) में 26.11.2015 को प्रकाशित कियागया । एनआरएससी से अनुरोध किया गया है कि पीएसएमजी-। से अनुमोदन के पश्चात् इन दो नए जिलों को भी अध्ययन में शामिल कर लिया जाए ।

iii) किए गए अध्ययन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने इस वित्त वर्ष में 3 अध्ययन पूर्ण किए हैं यथा: एनसीआर की आर्थिक रूपरेखा, एनसीआर में सूक्ष्म एवं घरेलू उद्यम तथा एनसीआर में स्वास्थ्य सेवाएं । इन अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य आंकड़े एकत्रित करना, आंकड़ों का विश्लेषण तथा उनमें अंतर चिन्हित करना, परियोजना लागत की पहचान एवं सिफारिशों का सूत्रीकरण करना था। सभी अध्ययनों के आंकड़े तथा उनके विश्लेषण का प्रयोग क्षेत्रीय योजना-2021 की समीक्षा के दौरान किया गया था । साथ ही, तीनों अध्ययन रिपोर्टों को सभी स्टेकहोल्डरों के मध्य परिचालित कर दिया गया था जिसमें एनसीआर की प्रतिभागी राज्य सरकारें, उनकी ऐजेंसियां/विभाग, केन्द्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग आदि शामिल हैं । यह परिचालन इस अनुरोध के साथ किया गया है कि अध्ययन के जांच-परिणामों का प्रयोग किया जाए तथा अध्ययन के प्रस्तावों/सिफारिशें का संबंधित उपक्षेत्रों में कार्यान्वयन किया जाए जिससे कि एनसीआर में संतुलित तथा सामंजस्यपूर्ण विकास हो सके ।

iv) प्रकार्य योजना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 16 कहती है कि "क्षेत्रीय योजना के प्रवर्तन में आ जाने के पश्चात् बोर्ड, समिति की सहायता से, उतनी प्रकार्य योजनाएं तैयार कर सकेगा, जितनी भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के उचित मार्गदर्शन के लिए आवश्यक हों ।"

उक्त के अनुपालन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 2 प्रकार्य योजनाएं तैयार की हैं यथा 'एनसीआर के आर्थिक विकास के लिए प्रकार्य योजना' तथा 'एनसीआर में ड्रेनेज हेतु प्रकार्य योजना' । यह दो प्रकार्य योजनाएं एनसीआर प्रतिभागी राज्यों के मार्गदर्शन हेतु बनाई गई हैं जिससे कि वे आर्थिक विकास तथा ड्रेनेज का स्थायी, समावेशी तथा इष्टतम ढ़ंग से प्रबंधन कर सकें जो कि एनसीआर के संतुलित तथा सामंजस्य पूर्ण विकास हेतु आवश्यक है । मसौदा प्रकार्य योजना को बोर्ड की योजना समिति के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु रखा जाएगा ।

v) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 के अंतर्गत उपक्षेत्रीय योजनाओं का निर्माण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 17 (1) के अंतर्गत *"प्रत्येक भागीदार राज्य के भीतर उप-क्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना राज्य का तैयार करनी होगी तथा प्रत्येक संघ शासित प्रदेश के भीतर उपक्षेत्र के लिए एक उपक्षेत्रीय योजना संघ शासित प्रदेश को तैयार करनी होगी"*।

प्रत्येक उपक्षेत्र की उपक्षेत्रीय योजना का निर्माण संबंधित राज्य सरकार करवा रही है। उपक्षेत्रीय योजनाओं के निर्माण की स्थिति इस प्रकार है:

उप-क्षेत्र	स्थिति
उत्तर प्रदेश	उ.प्र. सरकार ने उ. प्र. उपक्षेत्रीय योजना-2021 को अंतिम रूप दे दिया है तथा उसे दिनांक 31.12.2013 को प्रकाशित कर www.awas.up.nic.in पर अपलोड कर दिया है।
हरियाणा	अपने दिनांक 28.05.2014 के पत्र द्वारा हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि हरियाणा की उपक्षेत्रीय योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा उसे वेबसाइट (www.tcpharyana.gov.in) पर अपलोड भी किया जा चुका है । तथापि, हरियाणा सरकार को एमओईएफ&सीसी के साथ कुछ मुद्दों का निराकरण करना है।
राजस्थान	राजस्थान सरकार ने 10.11.2015 की अधिसूचना सं.410(90)नविवि/3/2008 पार्ट-। के द्वारा राजस्थान उपक्षेत्र (अलवर जिला) की उपक्षेत्रीय योजना-2021 का अनुमोदन किया है तथा उसे वेबसाइट (www.urban.rajasthan.gov.in/udh) पर अपलोड किया है ।
रा.रा.क्षे. दिल्ली	बोर्ड ने तय किया है कि दिल्ली की महायोजना-2021, जो कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाई गई है, को ही दिल्ली की उपक्षेत्रीय योजना मान लिया जाए । तथापि, इस महायोजना में अंतर्राज्यीय सम्बद्धता के मुद्दों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

vi) एनसीआर की क्षेत्रीय योजना-2021 के कार्यान्वयन की निगरानी

एक समन्वय निकाय के रूप में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राज्य सरकारों के माध्यम से नीतियों के कुशल कार्यान्वयन के लिए पहल/कार्रवाई की है । रा.रा.क्षे.यो.बो. अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत, क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों और प्रस्तावों का कार्यान्वयन प्रतिभागी राज्य सरकारों/एजेंसियों तथा संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।

क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है । एनसीआर प्रतिभागी राज्योंमें यह कार्य प्रतिभागी राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी संचालन समिति द्वारा किया जाता है । संबंधित प्रधान सचिव इस समिति के सदस्य होते हैं । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में यह कार्य बोर्ड, योजना समिति, परियोजना स्वीकृति तथा निगरानी

समूह (पीएसएमजी) द्वारा विभिन्न बैठकों में किया जाता है । इस वित्त वर्ष में क्षेत्रीय योजना-2021 की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए, बोर्ड, योजना समिति, पीएसएमजी प्रत्येक की एक बैठक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड स्तर पर तथा हरियाणा एवं राजस्थान के संचालन समिति की राज्य स्तर पर बैठक हो चुकी है ।

इसके अतिरिक्त, इस संबंध में सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें प्रतिभागी राज्य सरकारों/एनसीआर नियोजन एवं निगरानी सेल ने प्रतिभाग किया है ।

vii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कनेक्टिविटी

क) मध्यवर्ती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सीएनसीआर) तक मेट्रो रेल का विस्तार

क्षेत्रीय योजना-2021 में यथा प्रस्तावित, मध्यवर्ती रा.रा.क्षे (सीएनसीआर) तक मेट्रो रेल के विस्तार का कार्यान्वयन दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो का विस्तार नोएडा, गुड़गांव तथा गाज़ियाबाद (वैशाली) तक किया जा चुका है। इस वित्त वर्ष के दौरान इसे फरीदाबाद (एस्कोर्टस मुजेसर) तक भी विस्तारित किया गया है । फरीदाबाद (एस्कोर्टस मुजेसर) से बल्लभगढ़ तथा मुण्डका-बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन पर कार्य प्रक्रियाधीन है । इसके अतिरिक्त, गुड़गांव में रैपिड मेट्रो शुरु की जा चुकी है ।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के यात्रियों के लिए परिवहन पर एनसीआर-2032 की कार्यात्मक योजना ने तेज तथा कार्यकुशल सामूहिक परिवहन की संस्तुति दी । इसी क्रम मे, परिवहन-2032 पर कार्यात्मक योजना ने क्षेत्रीय त्वरित ट्रांज़िट प्रणाली का प्रस्ताव रखा जो तेज़ और कुशल रेल आधारित यात्रा प्रणाली है । आरआरटीएस पर कार्य दल ने निम्न 8 कॉरीडोर को प्राथमिकता दी है:

प्राथमिकता का क्रम	कोरीडोर	लंबाई (कि.मी.)
1)	दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ	90*
2)	दिल्ली-गुड़गांव-रेवाड़ी-अलवर	180*
3)	दिल्ली-सोनीपत-पानीपत	111*
4)	दिल्ली-फरीदाबाद-बल्लभगढ-पलवल	60.0*
5)	गाजियाबाद-खुर्जा	83.0
6)	दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक	70.0
7)	गाजियाबाद-हापुड़	57.0
8)	दिल्ली-शहादरा-बड़ौत	56.0

****व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार संशोधित***

निम्नलिखित तीन प्राथमिकता प्राप्त कॉरीडोर का व्यवहार्यता अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है:

प्राथमिकता का क्रम	कोरीडोर	लंबाई (कि.मी.)
1)	दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ	90*
2)	दिल्ली-गुड़गांव-रेवाड़ी-अलवर	180*
3)	दिल्ली-सोनीपत-पानीपत	111*

****व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार संशोधित***

दिल्ली-पानीपत आरआरटीएस कॉरीडोर की मसौदा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है। दिल्ली-अलवर तथा दिल्ली-मेरठ की मसौदा डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कैबिनेट द्वारा रा.रा.क्षे. परिवहन निगम के गठन को 11.07.2013 को मंजूरी मिल गई थी जिसके साथ ₹100 करोड़ की प्रारंभिक बीज पूंजी भी मिली थी जिसे विकास, कार्यान्वयन, वित्त, पोषण, एवं एनसीआर में आरआरटीएस की अन्य आवश्यकताओं हेतु प्रयोग में लाया जाना था। एनसीआरटीसी का गठन 21.8.2013 को किया गया।

इसके आगे का आरआरटीएस संबंधित कार्य जिसमें डीपीआर तैयार कर उसे अंतिम रूप देना, लागत तथा वित्त पोषण योजना (ट्रांज़िट लक्षित विकास द्वारा संवृद्धि तथा वित्त पोषण) शामिल है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा किया जाएगा।

ग) सड़क नेटवर्क

(i) दिल्ली के आसपास पेरीफेरल एक्सप्रेसवे

पांच राष्ट्रीय राजमार्ग, अर्थात् रा.रा.-1, रा.रा.-2, रा.रा.-8, रा.रा.-10 तथा रा.रा.-24 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के रिंग रोड पर आकर मिलते हैं जिसके कारण न केवल रिंग रोड बल्कि आसपास की बड़ी सड़कों पर भी यातायात कठिनाई से गुजरता है । जब ये राजमार्ग दिल्ली सड़क तंत्र का हिस्सा बन कर सामने आते हैं तो वे इस तंत्र के मुख्य मार्ग बन जाते हैं। यातायात में कठिनाई अधिकतर उन वाहनों के कारण होती है जो दिल्ली के नहीं है परन्तु कोई बाईपास न होने के कारण एक राजमार्ग से दूसरे पर जाने के लिए दिल्ली की सड़कों का प्रयोग करते हैं ।

बाईपास प्रदान करने के लिए एनसीआर क्षेत्रीय योजना में दिल्ली के आसपास पेरीफेरल एक्सप्रेसवे बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था । इस बाईपास का पश्चिमी हिस्सा रा.रा.-1 से कुण्डली में, रा.रा.-2 से पलवल में तथा रा.रा.-8, रा.रा.-10 से गुजरते हुए दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में मिलेगा । इसे पश्चिमी पेरीफेरल कहा जाएगा। बाईपास का पूर्वी आधा हिस्सा उत्तर में रा.रा.-1 कुण्डली में, दक्षिण में रा.रा.-2 से पलवल में तथा रा.रा.-24 से गुजरते हुए दिल्ली के पूर्वी हिस्से में मिलेगा । इसे पूर्वी पेरीफेरल (कुण्डली-गाज़ियाबाद-पलवल) कहा जाएगा । वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के कार्यान्वयन का कार्य एचएसआईआईडीसी, हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है जिसने सूचित किया है कि वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के पलवल से मानेसर तक के विस्तार का कार्य पूर्ण हो गया है तथा यह हिस्सा जनता के लिए खोल दिया गया है तथा मानेसर से कुण्डली तक के विस्तार का कार्य सौपा जा चुका है तथा उसे पूर्ण करने की लक्ष्य अगस्त, 2018 रखा गया है ।

पूर्वी पेरीफेरल एक्स्प्रेस्वे का कार्यान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है । इस परियोजना का अनुमोदन सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा 5.3.2015 तथा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी द्वारा 16.07.2015 को किया गया था । इस मामले में आगे की कार्रवाई एनएचएआई तथा सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय दववारा की जा रही है । एनएचएआई द्वारा 14.09.2015 को यह कार्य 6 टुकड़ों में दिया गया है जैसाकि 14.06.2015 को सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय में संपन्न मोनीटरिंग समिति की 25वीं बैठक में बताया गया ।

सचिव, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया जो डिजाइन विवरण को अंतिम रूप दे तथा समस्त कार्यों की निगरानी करें। यह समिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1985 के WP (सिविल) सं 13029 के मामले जो कि बाईपास तथा एक्सप्रेस वे के निर्माण के संदर्भ में दिए गए निर्णय की अनुपालन में था । यह समिति दोनों एक्सप्रेस वे के कार्यान्वयन की निगरानी करती है ।

(ii) दिल्ली-मेरठ-एक्सप्रेसवे

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के निर्माण के प्रस्ताव, जैसा कि क्षेत्रीय योजना-2021 में प्रस्तावित है, को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एनएचडीपी-VI का भाग मान कर इसके कार्यान्वयन की पहल कर दी है । एनएचएआई तथा एमओआरटीएच इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं ।

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजमार्ग-1,2,8,10,11ए, 24, 58,71, 71-ए, 71-बी, 91, 93, 119, 235 तथा 236 के भाग तथा राज्य राजमार्ग एवं सड़के मिलजुल कर एक सड़क तंत्र का निर्माण करती है। क्षेत्रीय योजना-2021 में इन राष्ट्रीय राजमार्गो का उन्नयन प्रस्तावित है। बोर्ड के प्रयासों के पश्चात् इन राजमार्गो के उन्नयन की दिशा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्षेत्रीय योजना-2021 में इन राजमार्गो को 6 लेन अथवा इससे अधिक लेनों को बनाने का प्रस्ताव है।

ख. **<u>बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं</u>**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम की धारा 8 (ड) के तहत बोर्ड व्यापक स्कीमों का चयन और अनुमोदन कर सकता है और उनके कार्यान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध करा सकता है। बोर्ड उक्त धारा के प्रावधानों के तहत इस क्षेत्र के संतुलित विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दायरे में एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध करा रहा है। बोर्ड घटक राज्यों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना की अनुमानित लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्य/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अपने अंशदान के रूप में वहन करती है।

31 मार्च 2016, की स्थिति के अनुसार, बोर्ड ने 27309 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली 295 बुनियादी सुविधा विकास परियोनाओं को 12157 करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृत किया । बोर्ड ने मार्च 2016 तक, 7222 करोड़ रूपये की ऋण राशि जारी की है। पूर्ण तथा जारी परियोजनाओं के उप क्षेत्रवार ब्यौरे नीचे तालिका-1 में दिए गए है :

जनवरी, 2016 में संपन्न 53वीं पीएसएमजी-। की बैठक में ₹7838 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 9 बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के लिए ₹3113 करोड़ की वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई । यह राशि बोर्ड के गठन से अब तक एक बैठक में अनुमोदित सबसे बड़ी राशि है । इन 9 परियोजनाओं में हरियाणा की 4 आरओबी तथा 3 सड़क परियोजनाएं हैं तथा उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र की एक ऐलीवेटेड रोड तथा नोएडा से ग्रेटर नोएडा का मेट्रो लिंक है ।

पूर्ण तथा प्रक्रियाधीन परियोजनाओं के साथ उपक्षेत्रवार ब्यौरा तालिका 1 में दिया गया है:

तालिका-1:राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के उप क्षेत्रवार ब्यौरे (31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार)

(रूपये करोड़ो में)

क्रम सं.	राज्य	स्थिति	परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	एनसीआरपीबीद्वारा जारी ऋण
1	राजस्थान [सीएमए-कोटा समेत]	प्रक्रियाधीन	6	285	214	4
		पूर्ण	30	1679	631	594
	उपयोग		36	1964	845	598
2	उत्तर प्रदेश [सीएमए-बरेली समेत]	प्रक्रियाधीन	9	7237	2654	119
		पूर्ण	49	1949	834	609
	उपयोग		58	9186	3488	728
3	हरियाणा [सीएमए-हिसार समेत]	प्रक्रियाधीन	30	2971	2050	772
		पूर्ण	160	12249	5178	4615
	उपयोग		190	15220	7228	5387
4	एनसीटी- दिल्ली	प्रक्रियाधीन	1	102	76	20
		पूर्ण	2	521	310	310
	उपयोग		3	623	386	330
5	पंजाब में सीएमए पटियाला	प्रक्रियाधीन	0	0	0	0
		पूर्ण	2	79	46	46
	उपयोग		2	79	46	46
6	मध्य प्रदेश में सीएमए-ग्वालियर	प्रक्रियाधीन	2	104	63	32
		पूर्ण	4	134	101	101
	उपयोग		6	238	164	133
	कुल	प्रक्रियाधीन	48	16610	7100	6275
		पूर्ण	247	27309	12157	7222
	कुल जोड		295	19738	9257	7057

बोर्ड द्वारा वित्त पोषित 295 परियोजनाओं में से प्राप्त सूचना के अनुसार 247 परियोजनाएं पूरी हो गई है और 48 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है । स्वीकृत ऋण दृष्टि से परियोजनाओं का क्षेत्रवार सार क्रमशः चित्र-1 में दिया गया है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का उप क्षेत्रवार सार (31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार)

चित्र-1

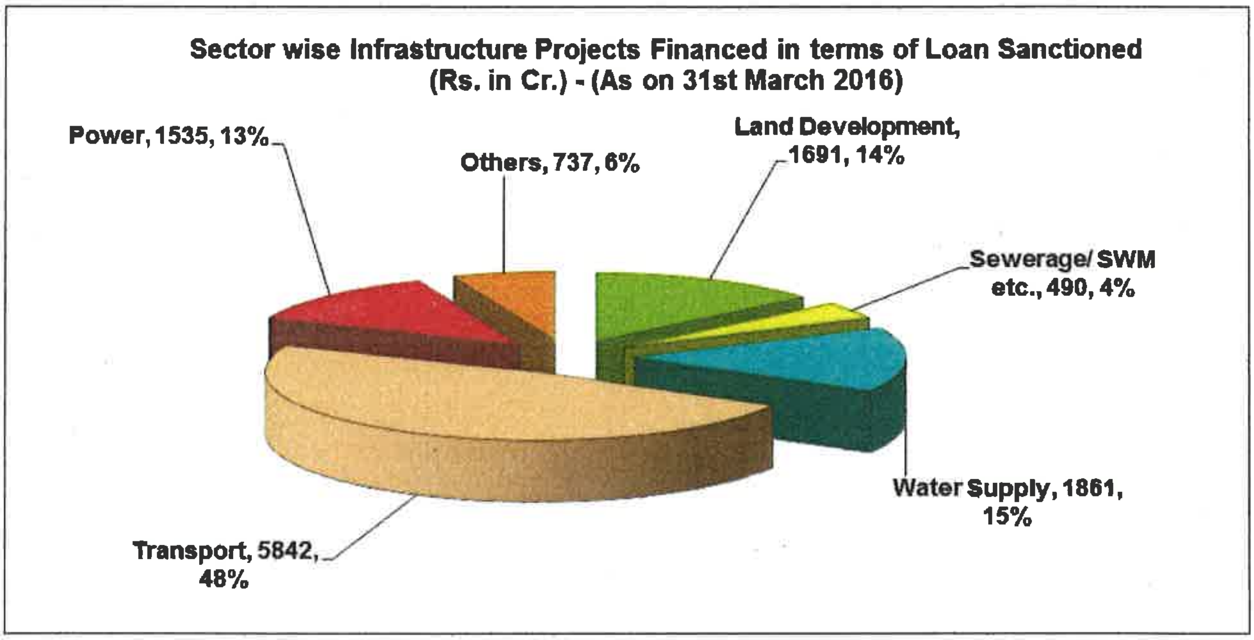

अनुलग्नक-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की ऋण सहायता प्राप्त अवसंरचना परियोजनाओं की सूची (मार्च 2016 तक की स्थिति)

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	अनुमानित लागत	स्वीकृत ऋण	वास्तविक रुप से जारी ऋण की राशि
	हरियाणा उप क्षेत्र					
	परिवहन क्षेत्र परियोजना (16 संख्या)					
1	राष्ट्रीय राजमार्ग -8 तक, शाहजहांपुर रेवाडी मार्ग 6 किमी तक, रेवाडी-नारनौल मार्ग(एसएच26), रेवाडी मोहिंदरगढ मार्ग, रेवाडी दादरी मार्ग प्रस्तावित बाईपास तक रेवाडी कोट कासिम मार्ग को चार लेन बनाने के द्‌वारा सुधार।	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	नवम्बर-08	106.07	79.55	71.77
2	एल/सी सं. 553 पर दिल्ली पलवल मथुरा रेलवे लाइन पर होडल हसनपुर मार्ग पर 2 लेन के आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	दिस-12	24.10	13.76	10.88
3	एल/सी सं. 29 पर दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर चीनी मिल के समीप सोनीपत पुरखास मार्ग पर 2 लेन आरओबी	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	दिस-12	40.37	16.42	13.21
4	गोहाना लखन माजरा भिवानी मार्ग को 0.000 से 37.700 किमी तक जिला रोहतक सीमा सडक तक चौडा करना और सुदृढ बनाना	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	दिस-12	99.77	74.83	59.90
5	यूपी सीमा सोनीपत गोहाना तक जिला सोनीपत सीमा मार्ग को 11.600 से 74.000 किमी तक चौडा करना और सुदृढ बनाना	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	दिस-12	176.26	132.20	124.25
6	गुडगांव-चंदू-बादली-बहादुरगढ मार्ग को चौडा करना और दर्जा उन्नत करना	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	दिस-12	244.10	183.08	109.85
7	रोहतक जिले में दक्षिणी बाईपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग-10 से राष्ट्रीय राजमार्ग-71 तक मार्ग का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	दिस-13/ मई-15	27.66	20.75	8.30
8	झज्जर/गुडगांव जिला में झज्जर फरुखनगर -गुडगांव मार्ग को चार लेन का मार्ग बनाना	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	दिस-13/ जनवरी-16	115.11	86.33	0.00
9	रेवाडी प्रभाग (हेलीमंडी से पहलावास मार्ग, कोसली - गुरयानी से पहलावास राष्ट्रीय राजमार्ग-71 और दहिना-जातुसाना मार्ग) में 3 मार्गों को उन्नत दर्जे का बनाना	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	दिस-13/ मई-2015	83.53	62.65	25.06

10	रोहतक जिले में लखनमाजरा मैहम रोड पर दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	जन-16	56.04	23.15	--
11	पानीपत जिले में दिल्ली वाटर कैरियर लिंक के साथ एलसी सं 54 पर जींद पानीपत सेक्शन (66/9-10) क्रासिंग रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	जन-16	32.58	11.18	--
12	पानीपत जिले में एलसी सं 55 पर जींद-पानीपत सेक्शन में (67/10-11) पानीपत काबली रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	जन-16	29.46	11.29	--
13	हिसार, डाबरा चौंक में हिसार सदलपुर रेलवे लाइन एवं पुराने डीएचएस क्रासिंग (आरडी 164.60) पर एलसी 3 पर अतिरिक्त 2 लेन आरओबी का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	जन-16	74.67	56.00	--
14	रोहतक शहर में छोटू राज चौंक से पुराने बस स्टैंड (74.00 से 75.86 किमी) तक रा.रा.10 पर ऐलीवेटेड रोड का निर्माण	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	जन-16	152.83	114.62	--
15	हरियाणा राज्य में गुड़गांव और रेवाड़ी जिले में गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी रोड (रा.रा.26) 12.00 से 50.41 कि.मी. का उन्नयन	लोनिवि(बीएंडआर, हरियाणा	जन-16	354.00	265.50	--
16	एचएसआईडीसी, हरियाणा द्वारा नियंत्रित प्रवेश वाले कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे सेक्शन का विकास (मानेसर आरडी 83.320 से पलवल आरडी 135.650 किमी)	एचएसआईडीसी	जन-16	457.81	343.35	--
				2074.36	**1494.66**	**423.22**
	सीवरेज क्षेत्र की परियोजनाएं (12 संख्या)					
17	रोहतक नगर में सीवरेज प्रणाली का विकास और दो एसटीपी का निर्माण	पीएचईडी हरियाणा	फरवरी-06	44.25	33.20	33.20
18	कोसली, जिला रेवाडी के गांव कोसली, भाकली और कोसली के रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में सीवरेज की सुविधाएं उपलब्ध करना	पीएचईडी हरियाणा	अक्तू-07	8.70	6.53	5.22
19	पटौदी नगर, गुडगांव जिला के लिए सीवरेज प्रणाली और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	अग-11	14.50	10.87	8.27
20	मेवात जिले के पुनहाना नगर के लिए सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	अग-11	12.50	9.37	7.73
21	पलवल जिले के हाथिन नगर के लिए सीवरेज प्रणाली और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	अग-11	12.3	9.23	8.00

22	फारुख नगर कस्बा, गुडगांव जिला के लिए सीवरेज प्रणाली और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	पीएचईडी हरियाणा	नव-11	11.48	8.61	2.58
23	सोनीपत कस्बा, हरियाणा में वर्षा जल नालों का निर्माण	पीएचईडी हरियाणा	दिस-12	21.72	16.29	12.72
				124.44	**94.09**	**77.72**
	जल क्षेत्र की परियोजनाएं (5 संख्या)					
24	सोहना कस्बे और रोजकामेओ औद्योगिक क्षेत्र,सोहना में जल आपूर्ति	पीएचईडी हरियाणा	नव-08	65.34	24.50	24.50
25	नलहर मेडिकल कालेज एवं नूह कस्बे के लिए जल आपूर्ति स्कीम	पीएचईडी हरियाणा	अग-11	105.00	112.50	66.13
26	पटौदी और समीप के हैलीमंडी कस्बे और इसके समीपस्थ सात गांवों के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि	पीएचईडी हरियाणा	नव-11	41.15	30.86	16.90
27	गुडगांव जिले के फरुखनगर कस्बे और पांच गावों के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि	पीएचईडी हरियाणा	नव-11	13.90	10.43	3.13
28	एचएसआईआईडीसी द्वारा मानेसर आईएमटी में जलापूर्ति परियोजना			223.80	155.65	31.13
				494.19	**333.94**	**143.79**
	विद्युत क्षेत्र की परियोजनाएं (3संख्या)					
29	हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में विद्युत अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए स्कीम - ट्रांसमिशन कार्यों की वृद्धि	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम	नव-08	79.43	59.58	59.58
				79.43	**59.58**	**59.58**
	सामाजिक क्षेत्र(3 संख्या)					
30	रोहतक में तकनीकी संस्थानों की स्थापना	डीटीई तकनीकी शिक्षा गोह	मई-10	197.00	67.50	67.50
				197.00	**67.50**	**67.50**
	हरियाणा उप योग (30 संख्या)			**2970.42**	**2049.77**	**771.82**
	उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र					
	भूमि विकास क्षेत्र (2 संख्या)					
31	गंगा नगर आवासीय स्कीम, बुलंदशहर	बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण	नव-04 / मई-10	69.14	48.09	35.09
				69.14	**48.09**	**35.09**
	परिवहन क्षेत्र की परियोजना (1 संख्या)					
32	ट्रांसपोर्ट नगर स्कीम, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण	नव-04	33.71	20.65	17.79
33	नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा के मध्य मेट्रो संबद्धता परियोजना (29.707 किमी)	जीएनआईडीए	जन-16	5533	1587.00	--
34	जीडीए द्वारा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में 6 लेन एलीवेटेड रोड (हिन्डन) का विकास	जीडीए	जन-16	1147.60	700.00	--

				6714.31	2307.65	17.79
	जल क्षेत्र की परियोजना (2 संख्या)					
35	डब्ल्यूटीपी साइट से मास्टर जलाशय तक पाल्ला (ग्रेटर नोएडा) निर्मल जल मैन पर देहरा (गाजियाबाद) पर इनटेक से डब्ल्यूटीपी साइट तक रॉ वाटर कन्वेंस मैन	ग्रे नोएडा	अग-13	183.19	137.39	14.00
36	देहरा (गाजियाबाद) पर प्राथमिक शोधन निर्माण कार्य, पाल्ला (ग्रेटर नोएडा) में 210 एमएलडी जल शोधन संयंत्र और सम्बद्ध निर्माण कार्य	ग्रे नोएडा	अग-13	121.48	87.16	11.00
				304.67	**224.55**	**25.00**
	सीवरेज क्षेत्र की परियोजना (2 संख्या)					
37	इकोटेक--III, ग्रेटर नोएडा में 20 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र और पंपिंग स्टेशन का निर्माण	ग्रे नोएडा	अग-13	28.15	21.10	2.25
38	इकोटेक--II, ग्रेटर नोएडा में 15 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र और पंपिंग स्टेशन का निर्माण	ग्रे नोएडा	अग-13	21.17	15.87	2.00
				49.32	**36.97**	**4.25**
	उप्र उप योग (8 संख्या)			**7137.44**	**2617.26**	**82.13**
	राजस्थान उप क्षेत्र (6 संख्या)					
	जल क्षेत्र (5 संख्या)					
39	अलवर जल आपूर्ति ग्रेड उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	174.86	131.14	0.00
40	तिजारा जल आपूर्ति ग्रेड उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	16.46	12.35	0.00
41	राजगढ जल आपूर्ति ग्रेड उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	20.24	15.18	0.00
42	बहरोर जल आपूर्ति ग्रेड उन्नयन परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	26.02	19.51	0.00
43	भिवाडी जल आपूर्ति सुधार परियोजना	पीएचईडी राजस्थान	अग/अक्तू 2013	40.69	30.52	1.69
				278.27	**208.70**	**1.69**
	अन्य(1 संख्या)					
44	अलवर जिला में सौर लालटेन रिचार्जिंग स्टेशनों सहित सोलर बस शेल्टर	यूआईटी अलवर	दिस-12	7.22	5.00	2.00
				7.22	**5.00**	**2.00**
	कुल (राजस्थान)			**285.49**	**213.70**	**3.69**
	दिल्ली उप क्षेत्र (1 संख्या)					
	अन्य (1 संख्या)					

45	ईडीएमसी द्वारा शाहदरा दक्षिण जोन में कडकडडूमा संस्थात्मक क्षेत्र में बहु-मंजिले कार्यालय भवन का निर्माण	ईडीएमसी	दिस-13	101.65	76.24	**20.00**
	योग(दिल्ली)			**101.65**	**76.24**	**20.00**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र					
	उ.प्र. सीएमए बरेली में परियोजनाएं					
	बरेली में भूमि विकास क्षेत्र (1 संख्या)					
46	बरेली में राम गंगा नगर आवासीय स्कीम	बरेली विकास प्राधिकरण	दिस-04	99.37	37.00	37.00
	उप्र सीएमए कस्बा बरेली में परियोजनाएं (1 संख्या)			**99.37**	**37.00**	**37.00**
	मध्य प्रदेश में परियोजनाएं - सीएमए कस्बा एसएडीए ग्वालियर					
	भूमि विकास परियोजनाएं (1 संख्या)					
47	एसएडीए, ग्वालियर में आवासीय स्कीमों का अवसंरचनात्मक विकास	एसएडीए, ग्वालियर	नव-09	76.07	42.05	31.54
	सीवरेज (1 संख्या)			**76.07**	**42.05**	**31.54**
48	एसएडीए, ग्वालियर के लिए सीवरेज स्कीम और शोधन संयंत्र उपलब्ध कराना	एसएडीए, ग्वालियर	नव-11	28.38	21.28	0.00
				28.38	**21.28**	**0.00**
	सीएमए कस्बा ग्वालियर में कुल परियोजनाएं (2 संख्या)			**104.45**	**63.33**	**31.54**
	काउंटर मैग्नेट क्षेत्र - कुल (3 संख्या)			**203.82**	**100.33**	**68.54**
	योग			**10698.82**	**5057.30**	**946.18**

(ग) वर्ष के दौरान प्रदान किए गए ऋण

क. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान संघटक राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों का 17 प्रक्रियाधीन परियोजनाओं के लिए नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार ₹165.15 करोड का ऋण प्रदान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:

(राशि ₹ लाख में)

क्रम सं	परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	उधारकर्ता एजेंसी	परियोजना का प्रकार	जारी ऋण
1	हरियाणा के झज्जर जिले में चारा पर बाई पास का निर्माण	4716.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	सडकें	438.00
2	हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली में बाई पास का निर्माण	2768.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	सडकें	114.00
3	नल्हार मेडिकल कॉलेज और नूह टाउन के लिए जल आपूर्ति योजना	15000.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	जलापूर्ती	4437.00
4	हिसार-हरियाणा में वितरण नेटवर्क के उप-पारेषण का सुधार और उन्नयन	4007.71	DHBVNL	विद्युत	452.46
5	रोहतक जिले के दक्षिणी बाईपास पर एनएच 10 के जंक्शन से एनएच 71 तक सड़क का निर्माण	2766.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	सडकें	830.00
6	रेवाड़ी जिले में विभिन्न सड़कें (हेलीमंडी से पहलावास सड़क, कोसली-गुर्यानी से पहलावास एनएच 71 दाहिना जातुसाना रोड)	8353.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	सडकें	2506.00
7	नूह टाउन, मेवात जिले के लिए सीवरेज योजना और उपचार संयंत्र उपलब्ध कराना	1027.38	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	69.70
8	दिल्ली पलवल मथुरा रेलवे लाइन एल/सी No.553 पर HodalHassanpur रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण	2410.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	आरओबी	400.00
9	दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर चीनी मिल के पास सोनीपतपुर्खास सड़क पर दो लेन आरओबी का निर्माण एल/सी सं 29 पर	4037.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	आरओबी	500.00
10	हरियाणा उप-क्षेत्र में गुड़गांव जिले में 5 सड़कों का सुधार कार्य	9036.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	सडकें	475.00
11	पानीपत ज़िले में दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर पानीपतजाताल रोड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण एल/सी सं 52-सी	3185.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	आरओबी	263.00
12	उ.प्र. सीमा का सोनीपत गोहाना से सोनीपत ज़िले की सीमा तक की सड़क का चौड़ीकरण तथा उन्नयन 11.600 से 74.000 किमी तक	17626.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	सडकें	1500.00

13	समलखा शहर, जिला पानीपत के लिए जलापूर्ति	1194.21	पीएचईडी, हरियाणा	जलापूर्ती	96.95
14	गोहाना शहर, जिला सोनीपत के लिए सीवरेज योजना और शोधन संयंत्र	1600.00	पीएचईडी, हरियाणा	सीवरेज	119.80
15	मेवात, हरियाणा के लिए राजीव गांधी पेयजल आपूर्ति सम्वर्धन परियोजना, प्रथम चरण (चरण-I और II) - संशोधित परियोजना के लिए अतिरिक्त सहायता	30049.00	पीएचईडी, हरियाणा	जलापूर्ती	778.00
16	औद्यौगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) मानेसर के लिए एचएसआईआईडीसी द्वारा जल आपूर्ति परियोजना	22380.00	एचएसआईआईडीसी	जलापूर्ती	3113.00
17	4 लेन के द्वारा उन्नयन: एनएच8 तक रेवाड़ी कोट्कासिम रोड, शाहजहांपुररेवाड़ी रोड 6 किमी तक, रेवाड़ीनरनौल रोड (एसएच26), रेवाड़ीमोहिंदरगढ रोड, रेवाड़ीदादरी रोड प्रस्तावित बाईपास तक	9630.00	पीडब्ल्यूडी (बी&आर), हरियाणा	सडकें	422.00
	कुल				**16514.91**

(अर्थात ₹165.15 करोड़)

ख. क्षेत्रवार जारी ऋण का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ ₹ में)

2015-16 के दौरान क्षेत्रवार जारी किया गया ऋण	
जलापूर्ति	8424.95
सीवरेज/ड्रेनेज	189.5
सड़कें एवं आरओबी	7448
विद्युत	452.46
कुल	**16514.91**

घ.(i) वित्तीय संसाधन

1. वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड के वित्तीय संसाधन निम्नानुसार हैं:

<u>भारत सरकार की बजटीय सहायता</u>

- शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त अंशदान - ₹80 करोड़ ।
- वेतन तथा भत्तों और बोर्ड के अन्य कार्यालय व्यय को पूरा करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय से गैर योजना अनुदान - ₹4.00 करोड़ ।

<u>आंतरिक तथा वाह्य बजटीय संसाधन</u>

- आंतरिक प्रोद्भूत अर्थात राज्य सरकारों और उनके पैरा स्टेटलों को दिए ऋण और बैकों में जमा धनराशि आदि पर अर्जित ब्याज - ₹426.09 करोड़ ।

- उधार लेने वालों यानी राज्य सरकारों और उनके पैरा स्टेटलों द्वारा ऋण (मूल) का भुगतान राज्य सरकारों और उनकी कार्यात्मक एजेंसियों द्वारा ऋणों की वापसी करने में कोई चूक नहीं हुई है। वूसली 100% है - ₹590.29 करोड़ ।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, प्राप्त अनुदान और वास्तविक व्यय निम्नलिखित अनुसार हैं:

(लाख ₹ में)

ब्यौरा	शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान	वास्तविक व्यय
योजना	80.00	514.40*
गैर योजना	4.00	6.94**

* *अनुदान/बजटीय अंशदान से अधिक हुए व्यय को एडीबी और केएफडब्ल्यू जैसी बहुपक्षीय, द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार लेकर तथा ऋण के वापसी भुगतान और बोर्ड के अपने आतंरिक उद्भूत राशि से पूरा किया गया ।*

** *इसमें वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष 2015-16 के लिए बोर्ड के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए ₹2.02 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है जिसे बोर्ड के आंतरिक उद्भूत राशि पूरा किया गया ।*

(ii) संसाधन जुटाना

घरेलू पूँजी बाजार

- वर्ष 2015-16 के दौरान, बोर्ड ने घरेलू पूंजी बाजार से कोई राशि नहीं जुटाई है। बोर्ड ने कॉल विकल्प का प्रयोग करके फरवरी, 2015 में ₹265.10 करोड़ की रकम एक असुरक्षित कर योग्य बांड (2019) श्रृंखला का मोचन (redeem) कर के प्राप्त किए हैं। यह राशि बीआरआर से प्राप्त की गई है ।

- 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार बांडों के जरिए बोर्ड का कुल बकाया ऋण ₹634.90 करोड़ है । इन बांडों की समयावधि, 7 साल के बाद पुट/काल विकल्प समेत, 10 वर्ष है । ये बांड राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेज-डब्लयूडीएम घटक में भी सूचीबद्ध हैं और बांड इशू के लिए कार्पोरेशन बैंक को न्यासी नियुक्त किया गया है ।
- एनसीआरप्लानिंग बोर्ड को सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए तथा इंडिया रेटिंग (पहले इसका नाम फिच रेटिंग था) द्वारा दी गई 'एएए' (स्टेबलआउटलुक) जारी रही । यह उच्चतम पूँजी निवेश ग्रेड रेटिंग्स है जिससे बोर्ड पूँजी बाजार से सस्ती दरों पर संसाधन जुटाने के साथ-साथ बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संसाधनों से निधियां जुटा सकता है ।
- ब्याज के नाम पर देय सभी भुगतान निवेशकर्ताओं को समय पर दे दिये गए हैं । बोर्ड से इस विषय में कोई चूक नहीं हुई है ।

बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्त पोषण

एशियाई विकास बैंक से ऋण (एडीबी)

- एशियाई विकास बैंक ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके काउंटर मैग्नेट क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बोर्ड को 150 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण अनुमोदित किया है। इस ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी गई है। 78 मिलियन अमेरीकी डालर की पहली खेप के लिए ऋण अनुबंध पर 17 मार्च, 2011 को हस्ताक्षर किए गए। ट्रैंच -1 की राशि 78 मिलियन डालर में से 18 मिलियन डालर की राशि को रद्द कर दिया गया है । बोर्ड ने कुल ऋण राशि 60 मिलियन डालर का उपयोग 31.12.2014 तक कर लिया है।
- बोर्ड नियमित रूप से एडीबी को देयताओं का भुगतान कर रहा है ।

जर्मन केएफडब्ल्यू द्विपक्षीय एजेंसी से ऋण

- केएफडब्ल्यू द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को जलापूर्ति, सीवरेज,ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी परिवहन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल स्कीमों के लिए 100 मिलियन यूरो ऋण + 1 मिलियन यूरो अनुदान देने के लिए संबंधित अनुबंधों पर 09 फरवरी, 2012 तथा 30 मार्च, 2012 को हस्ताक्षर किए गए । केएफडब्ल्यू को ऋण वापसी की अवधि मूल धनराशि की अदायगी के लिए 05 वर्ष की स्थगन अवधि समेत 15 वर्ष है । ऋण के लिए

स्थाई ब्याज दर 1.83 प्रतिशत प्रतिवर्ष है । वर्ष 2015-16 तक बोर्ड ने केएफडब्लयू से 19.31 मिलियन यूरो का दावा किया था और इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त कर ली है।

- बोर्ड नियमित रूप से केएफडब्ल्यू को देयताओं का भुगतान कर रहा है।

(iii) लेखों का लेखा परीक्षण

- वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के साथ शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

(iv) क्षमता विकास संबंधी प्रयास-पहल

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजना निर्माण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, वित्तीय और कोष प्रबंधन क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं के जरिए एशियाई विकास बैंक तकनीकी सहायता के तहत पुस्तिकाएं और टूल किट्स तैयार की गई और व्यापक इस्तेमाल के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं । ये टूलकिट्स और नियम पुस्तिकाएं योजना बनाने, अच्छी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, मूल्यांकन और कार्यान्वयन के क्षेत्र में इस बोर्ड, राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों के कार्मिकों की कार्य क्षमता में काफी बढोतरी करेंगी और इनकी मदद से बोर्ड कारगर वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभा पाएगा ।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एवं उसके हितधरियो की क्षमता के विकास हेतु तकनीकी सहायता के लिए केएफडब्ल्यू द्वारा परामर्शदात्री कंपनी मैसर्स जीकेडब्ल्यू कन्सल्ट जीएमबीएच (पूर्व में मैसर्स लाहमेयर जीकेडब्लू कन्सल्ट, जर्मनी) का अनुमोदन तथा नियुक्ति की गई है।

घ. नई पहल

- बोर्ड ने प्राथमिक अवसंरचना परियोजनाओं अर्थात् जलापूर्ति, सीवरेज, सैनिटेशन, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि की अवधि 10 वर्षसे ब़ढ़ाकर 15 वर्ष कर दी है जिसमें मूल धन के पुनर्भुगतान के लिए 3 वर्ष का अधिस्थगन काल भी शामिल है। इसके साथ ही समयबद्ध तरीके से एनसीआर में जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी

सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ने परियोजना लागत का 15% अनुदान रूप में देने का अनुमोदन किया है। परिवहन, जल और सेनिटेशन जैसी लंबी अवधि और कम रिटर्न वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड ने इन पर ब्याज दर 7.50% प्रति वर्ष कर दी है । इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है तथा ब्याज दर भी 7.50% रखी गई है।

ड. प्रशासन और सतर्कता

i) प्रशासन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सचिवालय में नियोजन, प्रशासन एवं स्थापना, वित्त तथा परियोजना विंग है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बोर्ड की कुल स्वीकृत और वास्तविक कार्मिक-संख्या निम्नलिखित अनुसार है -

श्रेणी	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या
समूह 'क'	13	9
समूह 'ख'	6	6
समूह 'ग'	25	23
समूह 'घ'	7	7
कुल	**51**	**45**

बोर्ड समय-समय पर लागू अपने भर्ती नियमों तथा भारत सरकार के नियमों/अनुदेशों के अनुसार आरक्षण नीतियों को लागू कर रहा है । बोर्ड के एक अधिकारी को अनु.जाति/अनु.जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांगों समेत तथा अल्पसंख्यक कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

ii) सतर्कता

बोर्ड कार्यालय में संयुक्त निदेशक (तक.) को अंश - कालिक सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है । सभी सतर्कता संबंधित मामले एवं मुद्दे उनके द्वारा ही देखे जाते हैं ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अधिदेशित ई-गवर्नेंस को बढावा देकर सतर्कता प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइटwww.ncrpb.nic.inपर बोर्ड के अधिदेश और कार्य, ऋण सहायता- प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु दिशा निर्देश समेत इस संबंध में

लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपालोड किया जाता है। इस वेबसाइट पर अधिनियमों, नियमों और विनियमों तथा प्रमुख विशेषताओं समेत क्षेत्रीय योजनाओं सबंधी ब्रॉशर, विभिन्न योजनाओं की स्थिति,ऋण सहायता-प्राप्त करने के इच्छुक उधारकर्ताओं हेतु व्यापक दिशानिर्देश, ऋण संबंधी शर्तें, ली जाने वाली ब्याज दरें और उपलब्ध छूट, परियोजनाओं की स्थिति, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखे भी उपलब्ध है। इस पर उधारकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फार्मों जिन्हें डाऊनलोड किया जा सकता है, समेत टेंडरों/आरएफपी आदि के लिए निर्धारित क्षेत्र सहित पूर्ण ऋण दस्तावेजों संबंधी सूचना उपलब्ध है। अन्य अनिवार्य सूचना के अतिरिक्त वेबसाइट पर रिक्त पदों के विज्ञापन, भर्ती के लिए पात्रता-मानदंडों के साथ-साथ भावी उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित अन्य अनिवार्य सूचनाओं को दर्शाया जाता है।

iii) सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 5 (1) के अनुसार बोर्ड कार्यालय में 6 जन सूचना अधिकारियों और 3 अपीली प्राधिकारियों को पदनामित किया गया है। जन सूचना अधिकारियों और अपीली प्राधिकारियों के ब्यौरे बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया है और आवेदन प्रक्रिया तैयार की गई है। आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है । इसके अलावा, समय पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्तर पर समय-समय पर निगरानी भी की जाती है । वर्ष 2015-16 में इस अधिनियम के तहत 82 आवेदन प्राप्त हुए और सभी आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध करा दी गई । बोर्ड कार्यालय नियमित रूप से आवेदनों का तिमाही एवं वार्षिक ब्यौरा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वैबसाइट पर अपलोड करता है तथा शहरी विकास मंत्रालय को भी इसकी सूचना दी जाती है।

iv) ई-अधिप्रापण/क्रय

प्राप्तिनीति प्रभाग, व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार बोर्ड का यह प्रयास रहता है कि सभी निविदाएं सीपीपी पोर्टल पर रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड की वैबसाइट द्वारा प्रदर्शित की जाएं ताकि सभी निविदा पूछताछ, संशोधन, दिये गए अनुबंध के ब्यौरे आदि जैसी सभी जानकारी स्वत: ही एनआईसी द्वारा बनाए गए एक्सएमएल सुविधा युक्त सीपीपी पोर्टल पर अपलोड हो सके ।

v) संगठनात्मक ढ़ॉचा

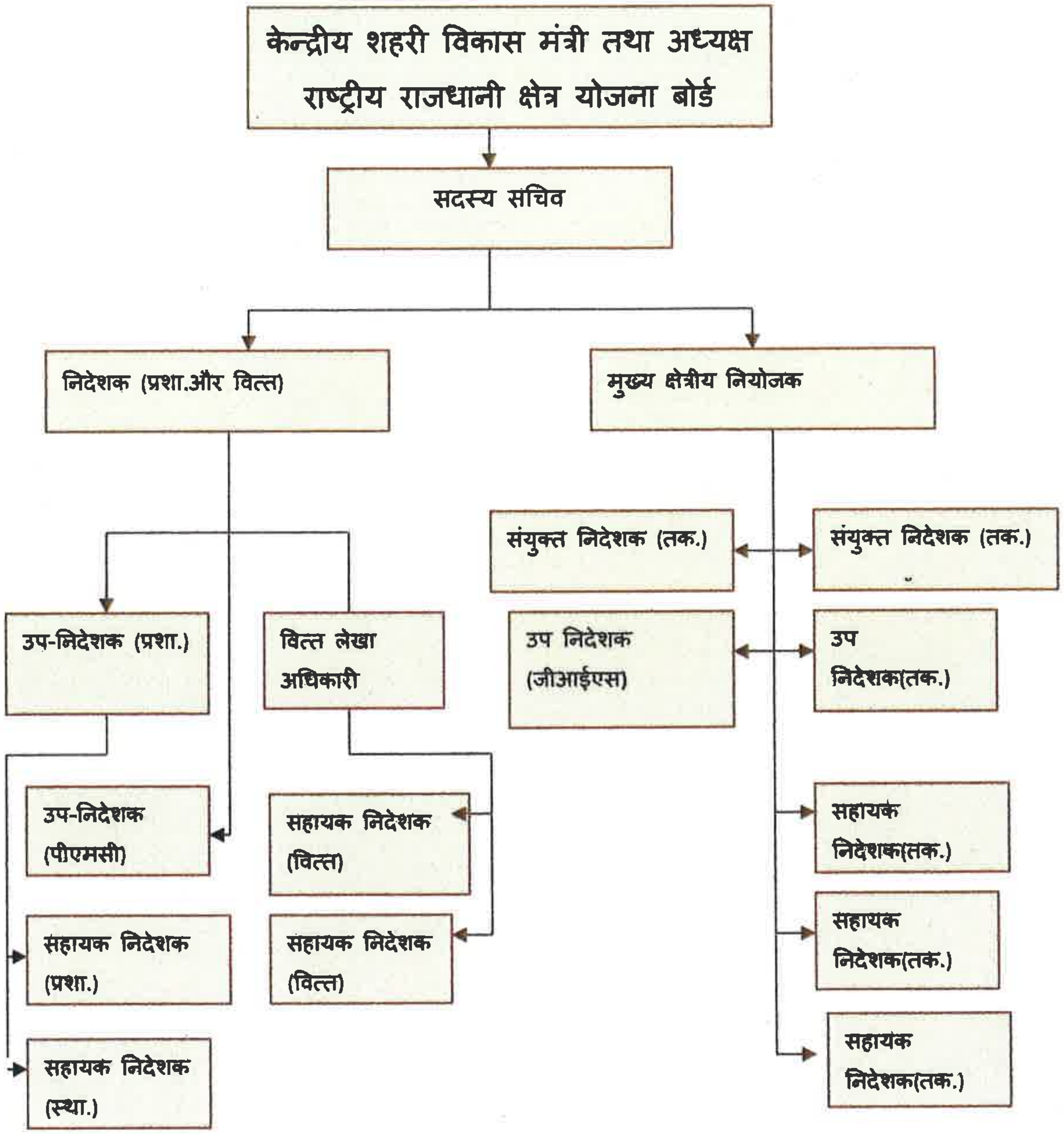
केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री तथा अध्यक्ष
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
सदस्य सचिव
निदेशक (प्रशा.और वित्त)
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
संयुक्त निदेशक (तक.)
संयुक्त निदेशक (तक.)
उप-निदेशक (प्रशा.)
वित्त लेखा अधिकारी
उप निदेशक (जीआईएस)
उप निदेशक(तक.)
उप-निदेशक (पीएमसी)
सहायक निदेशक (वित्त)
सहायक निदेशक(तक.)
सहायक निदेशक (प्रशा.)
सहायक निदेशक (वित्त)
सहायक निदेशक(तक.)
सहायक निदेशक (स्था.)
सहायक निदेशक(तक.)

संगठनात्मक ढ़ॉचाजारी.........

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1	श्री बी. के त्रिपाठी	सदस्य सचिव
2	**पद रिक्त**	निदेशक (प्रशा एवं वित्त)
3	**पद रिक्त**	मुख्य क्षेत्रीय नियोजक
4	**पद रिक्त**	संयुक्त निदेशक (तक.)
5	श्रीमती रूचि गुप्ता	संयुक्त निदेशक (तक.)
6	श्री पी. के. जैन	वित्त तथा लेखा अधिकारी
7	**पद रिक्त**	उप निदेशक (प्रशा.)
8	श्री नबील जाफरी	उप निदेशक (जीआईएस)
9	श्री पार्थ प्रतिम नाथ	उप निदेशक (तक.)
10	सुश्री नीलिमा माझी	सहायक निदेशक (तक.)
11	श्री नरेश कुमार	सहायक निदेशक (तक.)
12	श्री यशवंत कुमार नामासानि	सहायक निदेशक (तक.)
13	श्री अभिजीत सामंता	सहायक निदेशक (तक.) (बोर्ड की मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत उपनिदेशक (पीएमसी) के पद पर पुन पदनामित)
14	श्री डी. के. वर्मा	सहायक निदेशक (वित्त)
15	श्री हर्ष कालिया	सहायक निद्रेशक (प्रशा.)
16	श्री एस. के. कटारिया	सहायक निद्रेशक (स्था.)
17	श्री शिरीष शर्मा	सहायक निद्रेशक (वित्त)